"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक् टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2012—भाद्र 23, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-01-2012 के द्वारा श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सचिव, लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश दिनांक 20-01-2012 को निरस्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. को संचालक, उद्यानिकी, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के संचालक, उद्यानिकी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. श्री आलोक कटियार, भा.व.से. संचालक, उद्यानिकी, रायपुर की सेवायें तत्काल प्रभाव से वन विभाग को वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 9-5/2012/1-8.—श्री ए. पी. त्रिपाठी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा (1993 बैच) की सेवाएं, भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली ने प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपने की सहमति के फलस्वरूप, श्री त्रिपाठी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार, जी.एम.टी.डी. दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें बाद में जारी की जावेगी.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्रमांक 1178/597/अव./2012/1-8/स्था.—श्री ए. एच. सिद्दकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग को दिनांक 21-08-2012 से 25-08-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19, 20 एवं 26-08-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्रमांक 1771/1238/2012/1-8.—श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, राज्य प्रशासनिक सेवा को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. बाजपेयी (रा.प्र.से.) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. एवं अनु.जा.विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्रमांक 1146/554/अव./2012/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 726-27/474/अव./2012/1-8/स्था., दिनांक 12-06-2012 द्वारा श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 29-05-2012 से 15-06-2012 तक 18 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16-06-2012 से 07-07-2012 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 12-06-2012 के अनुसार यथावत होंगे.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 2-8/2012/1-8.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्रमांक 1722/1771/2012/1-8.—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31-07-2012 के अनुक्रम में श्री शशिकांत भार्गव काले, संयुक्त संचालक, प्रशासन अकादमी की सेवायें वित्त विभाग से लेते हुए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा-शाखा) पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्रमांक 1174/553/अव./2012/1-8/स्था.—डॉ. संजय कुमार अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 30-07-2012 से 04-08-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 05-08-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. अलंग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अलंग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्रमांक/184/164/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री जी. पी. सिंह, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, छसबल/नक्स. ऑप., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 24-09-2012 से दिनांक 01-10-2012 (8 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-09-2012 एवं दिनांक 01-10-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, छसबल/नक्स. ऑप., पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जी. पी. सिंह को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्रमांक/105/3447/दो गृह/भापुसे/2012.—श्री गिरिधारी नायक, भा.पु.से., अति. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 29-06-2012 से दिनांक 05-07-2012 (07 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नायक आगामी आदेश तक अति. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गिरिधारी नायक को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरिधारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 01-28/31/स्था./2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अब्दुल शकील, मुख्य अभियंता हसदेव (बांगो) परियोजना बिलासपुर, अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर, दिनांक 31-08-2012 को सेवानिवृत्ति होने के कारण, विभागीय कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, श्री सेलेस्टिन खाखा, मुख्य अभियंता हसदेव कछार, बिलासपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य अभियंता हसदेव (बांगो) परियोजना बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम मनोहर पाठक, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्रमांक-एफ 7-33/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए फिंगेश्वर, निवेश क्षेत्र, जिला गरियाबंद का गठन करती हैं जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

फिंगेश्वर, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बोरिद, सरगोड़, पथर्री, गदहीडीही एवं बिनौरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बिनौरी, पुरैना एवं मड़वाडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम मड़वाडीह, चैतरा, सेनदर, पतोरा एवं परसदाकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम परसदाकला, बोरिद एवं सरगोड़ ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./25/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रावांभाठा प. ह. नं. 28	431/1	290	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, रायपुर.	रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-30 में खमतराई, भनपुरी, रावांभाठा, धनेली तक 6-लेन सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण हेतु.
			431/2	320		
		योग	2	610		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	अमलीपाली प. ह. नं. 17	0.117	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	सालर छातादेई, अमलीपाली मार्ग के कि.मी. 5/4 पर मनई नाला पुल के पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	खुड़बेना प. ह. नं. 05	0.427	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	उलखर, गोपालभौना, बरदुला मार्ग पर लीलार नाला पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्रमांक 51/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	भाड़ी प.ह.नं. 14	3.78	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भाड़ी जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2011-2012.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	ढेलवाडीह	0.445	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निगम संभाग, बिलासपुर.	ढेलवाडीह, पतरापाली पर अहिरन सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नवापाराकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.238 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
617/2	0.020
521/2	0.041
708/3	0.182
45/1	0.061
476	0.056
493	0.012
484	0.101
690	0.097
596/3	0.061
481	0.012
523/4	0.020
523/3	0.141
711/36	0.061
699/26	0.089
714/1	0.028
696/1	0.008
711/37	0.061
47	0.097
697	0.008
598/2	0.016
523/7	0.081

(1)	(2)
708/2	0.182
149	0.182
522	0.113
489	0.101
488	0.008
523/8	0.061
699/27	0.065
45/2	0.243
134/2	0.053
711/38	0.121
596/1	0.081
126	0.174
608	0.057
526/2	0.024
711/28	0.182
46	0.053
523/6	0.041
137/2	0.028
492/2	0.251
523/10	0.020
612/4	0.089
45/714/4	0.028
521/1	0.061
610	0.073
244/2	0.061
453	0.117
450/1	0.093
611	0.133
42/1	0.069
133	0.016
135/3	0.089
148	0.020
598/1	0.016
699/7	0.182
612/2	0.061
412	0.041
457/1	0.077
612/7	0.081
486/1	0.024
596/2	0.061
451	0.020
411	0.032
42/2	0.069
477/2	0.089
244/1	0.061
454/2	0.145

(1)	(2)
599	0.020
600/2	0.093
612/3	0.020
711/41	0.061
245/2	0.008
612/17	0.045
523/5	0.141
492/1	0.081
525/2	0.149
132	0.073
414	0.024
480	0.166
523/1	0.061
475/7	0.041
692/1	0.065
695	0.089
योग	6.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-पोडीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.883 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
547	0.032
609/2	0.040
626/2	0.032
642/2	0.028
395	0.024
398	0.036
552	0.016
609/1	0.101
626/3	0.032
658	0.093
396	0.114
393/1	0.032
712/3	0.048
712/4	0.053
634	0.052
657/2	0.036
399	0.073
410	0.012
626/1	0.065
711	0.040
635	0.154
651	0.049
400	0.036
553/3	0.210
709/2	0.036
640	0.052
652/2	0.040
405	0.044
553/1	0.049
710/2	0.040
642/1	0.032
394	0.036
404	0.146
योग	1.883

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लैगू व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नवापाराकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.520 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
42/2	0.032
25	0.065
40/3	0.077
41/4	0.041
34/2	0.061
38	0.057
23/1	0.045
24/1	0.041
35	0.012
36/2	0.089
योग	0.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवानगर व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नवानगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.461 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
752	0.045
761/1	0.061
751/2	0.056
761/4	0.218
761/2	0.081
योग	0.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रकेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.096 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190/1	0.069
52/2	0.061
31/1	0.057
37	0.178
35/2	0.028
55/2	0.056
187	0.028
31/2	0.057
186	0.210
35/3	0.028
56/2	0.121
33/1	0.101
188	0.093
182/3	0.041
178/1	0.101
177/2	0.081
177/1	0.081
55/1	0.049
178/6	0.073
178/2	0.061
58/3	0.073
56/1	0.061
53/1	0.145
189/2	0.105
52/1	0.109
35/1	0.029
योग	2.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन् के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-कल्याणपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.378 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/26	0.166
81/1	0.356
83	0.081
125	0.049
162/1	0.077
84	0.061
126	0.101
82	0.020
129/2	0.105
128	0.012
133	0.024
132	0.024
157	0.157
162/2	0.077
130	0.068
योग	1.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नवानगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.345 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
665/2	0.049
806	0.028
706/9	0.032
814/1	0.032
658	0.041
867/2	0.069
587/2	0.032
733/5	0.093
860/3	0.061
315/1	0.145
729/3	0.070
347	0.040
312	0.117
587/6	0.045
671/6	0.041
125/2	0.049
874	0.101
808	0.016
718/1	0.081
672	0.137
665/1	0.036
706/10	0.032
698/1	0.157
664	0.041
869/3	0.081
870/3	0.073
735/2	0.068
795	0.020
668	0.073
587/4	0.032
705/987/2	0.052
797/5	0.111
311/3	0.041
870/1	0.121
591	0.024
587/1	0.081
729/4	0.070
705/987/1	0.041
733/3	0.092
733/1	0.045
863/8	0.024
809	0.028
125/1	0.153
861	0.141
729/5	0.070
706/4	0.041
860/1	0.020
796	0.020
667/7	0.020
703/1	0.049
701/1	0.073
705/990	0.041
705/988	0.057
860/4	0.020
704/2	0.041
704/1	0.041
706/7	0.032
875	0.166
719	0.061
867/4	0.065
309/1	0.073
858/1	0.129
869/2	0.081
730/2	0.028
813/1	0.012
653/1	0.095
705/989/1	0.052
858/2	0.081
344	0.016
587/8	0.020
587/7	0.041
706/6	0.032
872	0.036
804	0.061
734	0.170
797/3	0.111
707	0.109
654/1	0.174
718/3	0.081
878/1	0.178
663/5	0.024
879	0.032

(1)	(2)
703/2	0.049
706/11	0.032
667/5	0.020
811/2	0.020
663/10	0.024
653/2	0.095
316/1	0.222
313	0.121
870/2	0.041
862	0.012
730/1	0.008
314	0.190
673/3	0.065
663/6	0.024
805/1	0.012
657	0.041
873	0.041
871	0.012
878/2	0.077
706/991	0.085
810	0.089
345/2	0.041
346	0.429
311/1	0.081
587/5	0.061
705	0.052
863	0.032
योग	7.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग।

राजनांदगांव, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्रमांक/7501/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव.
  (ख) तहसील-राजनांदगांव
  (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 41
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-333.00 वर्गमीटर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (वर्गमीटर में) (2)
80, 81/1	12.00
82	130.00
83	39.00
84	152.00
योग 4	333.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव अंतागढ़ मार्ग के कि.मी. 5/8-10 पर शिवनाथ नदी (मोहाराघाट) पर उच्च स्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग एवं परिवर्तित मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्रमांक 1629.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुलमुला, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	334/9	0.218
योग	1	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बनाहिल शाखा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भेडवन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/1क	0.065
	3/4	0.081
	13/6	0.097
	2/1ख	0.028
	4/1	0.032
	13/7	0.171
	3/3	0.069
	4/3	0.020
	14/3	0.028
योग	9	0.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिलाईमुडा जसरा मार्ग के कि.मी. 2/2 पर लिलार नाला पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.769 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	490/1	0.087
	490/3	0.043
	491/2	0.063
	491/3	0.125
	491/1	0.063
	526/9	0.020
	492	0.324
	490/2	0.044
योग	8	0.769

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिलाईमुडा जसरा मार्ग के कि.मी. 2/2 पर लिलार नाला सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-परसकोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.696 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
568/1	0.004
559/1	0.045
547/3	0.004
562/1ग	0.004
564	0.020
544/2	0.024
561/1	0.097
560/1	0.020
563/1	0.012
559/5	0.008
547/1	0.012
562/5	0.010
562/1ख	0.004
562/1क	0.008
562/3	0.010
542	0.004
559/3	0.016
565	0.012
545/2क	0.048
557	0.004
566/1	0.020
545/1	0.085
563/2	0.008
547/2	0.012
559/2	0.016
567	0.024
562/2	0.016
558	0.028
568/4	0.024
545/2ख	0.049
559/4	0.012
566/2	0.016

	(1)	(2)
	562/4	0.020
योग	33	0.696

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारंगढ़-परसकोल मार्ग के कि.मी. 12/2 पर लिलांर नाला पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-जबलपुर, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.812 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	56	0.045
	103/3	0.053
	127/1	0.004
	97	0.048
	103/4	0.272
	96	0.028
	122/2	0.016
	98	0.344
	124/3	0.002
योग	9	0.812

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जबलपुर आडपथरा मार्ग पर मांड नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 62/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीपाली, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.771 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
328/1	0.033
22/2	0.076
334/1	0.020
310/2	0.011
319/2	0.032
326/1	0.032
22/4	0.151
322/2	0.083
321/3	0.008
329/2	0.028
346/2	0.020

(1)	(2)
21/2	0.016
294/1	0.065
309/5	0.016
284/1	0.012
284/3	0.040
22/7	0.040
327/1	0.016
322/1	0.008
293/2	0.032
293/4	0.032
योग 21	0.771

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 66/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लोहरसिंह, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.301 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
395/1घ 3	0.049
395/1घ 11	0.048
395/1घ 19	0.049
395/1घ 14	0.061
622	0.073
621/2	0.072
395/1घ 10	0.048
395/1घ 5	0.048
395/1घ 13	0.040
395/1घ 21	0.049
395/1घ 16	0.040
621/1	0.288
395/1घ 7	0.040
395/1घ 20	0.049
395/1घ 15	0.061
395/1घ 8	0.049
395/1घ 18	0.048
395/1ग	0.080
395/1घ 9	0.049
395/1घ 17	0.040
580	0.020
योग 21	1.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरभवना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.144 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
786	0.008
787	0.874
819	0.032
821	0.040
795	0.081
796	0.235
797/1	0.202
797/2	0.202
799	0.101
800	0.142
802	0.243
803	0.263
804	0.061
805	0.134
808	0.182
809	0.040
810	0.117
806	0.081
807	0.061
811	0.020
812	0.324
815	0.162
823/2	0.008
873	0.101
874	0.348
876/1	0.061
876/2	0.093
873	0.186
876/4	0.061
876/5	0.061
876/6	0.061
877, 878	0.154
879	0.040
880	0.085
881	0.081
883	0.040
884	0.065
889	0.081
योग	5.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कोरबा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

क्रमांक/क/8334 B/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोडीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बिंझरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
439/2	0.008
439/3	0.073
439/4	0.053
463	0.202
योग	0.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिंझरा-बरताई मार्ग पर अहिरन एवं कौआ सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

क्रमांक/क/8334 B/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के प्रद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरबा
 (ख) तहसील-पोडीउपरोड़ा
 (ग) नगर/ग्राम-बरतराई
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
286	0.10
288	0.04
289	0.10
290/1	0.10
290/2	0.10
291	0.18
466	0.69
469	0.10
293	0.06
306/1	0.10
307/2	0.02
306/2	0.10
307/1	0.02
462	0.56
470	0.14
588	0.06
योग	2.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिंझरा-बरतराई मार्ग पर अहिरन एवं कौआ सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/3341.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/1188 रायपुर, दिनांक 23-05-2012 द्वारा श्री सिद्धार्थ दास, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग, को कृषि उपज मण्डी समिति दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग के प्राप्त पत्र क्रमांक 8756 दिनांक 06-08-2012 द्वारा श्री सिद्धार्थ दास, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग का स्थानांतरण जिला-जशपुर में होने के कारण श्रीमति सौम्या चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर दुर्ग को मण्डी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सिद्धार्थ दास, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग, के स्थान पर कृषि उपज मण्डी समिति दुर्ग जिला-दुर्ग के भारसाधक अधिकारी का दायित्व निर्वहन हेतु श्रीमती सौम्या चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर दुर्ग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/3343.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/5931 रायपुर, दिनांक 09-01-2012 द्वारा श्री आर. के. राठौर, उपसंचालक कृषि, जिला-कोरिया को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला कोरिया के पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 21-08-2012 के द्वारा श्री आर. के. राठौर, उपसंचालक कृषि, जिला-कोरिया का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री एच. एस. राजपूत, उपसंचालक कृषि को मण्डी बैकुण्ठपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. के. राठौर, उपसंचालक कृषि, जिला-कोरिया के स्थान पर श्री एच. एस. राजपूत, उपसंचालक कृषि को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/3345.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/5616 रायपुर, दिनांक 27-12-2011 द्वारा श्री अवनिश कुमार शरण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जशपुर, जिला जशपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-जशपुर के पत्र क्रमांक/452/स्टेनो/2012 जशपुर, दिनांक 08-08-2012 द्वारा श्री अवनिश कुमार शरण का स्थानांतरण हो जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अवनिश कुमार शरण का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जशपुर जिला-जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/3347.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/3523 रायपुर, दिनांक 09-09-2011 द्वारा सुश्री प्रियंका शुक्ला, (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, को कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द के पत्र क्रमांक 917 दिनांक 25-08-2012 द्वारा सुश्री प्रियंका शुक्ला (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री के. आर. देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री प्रियंका शुक्ला, (आई. ए. एस.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, के स्थान पर श्री के. आर. देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3349.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/5707 रायपुर, दिनांक 29-12-2011 द्वारा श्री एन. सी. नैरोजे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली को कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 17-08-2012 द्वारा श्री एन. सी. नैरोजे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) का मुंगेली से स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एन. सी. नैरोजे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

मेडिकल कॉलेज रोड, "अरण्य भवन", रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक/व.प्रा./स्था./2012/158.—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2, दिनांक 20 फरवरी, 2009 द्वारा इंद्रावती टायगर रिजर्व के गठित होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैनुअल की अपेन्डिक्स-I के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासकीय

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी संबंधित आदेशों को संशोधित करते हुए निम्न संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है—

अनु. क्र.	वृत्त का नाम (मुख्यालय)	जिले का नाम	टायगर रिजर्व का नाम	उप संचालक (वनमंडल) का नाम (मुख्यालय)	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का मुख्यालय	परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	परिक्षेत्र में सम्मिलित परिक्षेत्र सहायक वृत्तों की संख्या	परिक्षेत्र में सम्मिलित परिसरों की संख्या	परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						इन्द्रावती टायगर रिजर्व (बफर क्षेत्र) बीजापुर				
1.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी), जगदलपुर एवं क्षेत्र संचालक, इंद्रावती टायगर रिजर्व मुख्यालय-जगदलपुर	बीजापुर	इंद्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	उप संचालक इन्द्रावती टायगर रिजर्व (बीजापुर)	बफर परिक्षेत्र कुटरू	कुटरू	आरक्षित वनक्षेत्र-115.29 संरक्षित वनक्षेत्र-84.89 असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्र-251.43 राजस्व क्षेत्र-46.83 **योग 498.44**	03	11	**उत्तर**- संरक्षित कोर परिक्षेत्र कुटरू के कक्ष क्र. पी 1328 की दक्षिणी सीमा, पी. 1326 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा, पी. 1324 की दक्षिणी व पूर्वी सीमा, पी. 1322 की दक्षिणी व पूर्वी सीमा, पी. 1319 की पूर्वी सीमा, पी 1321 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 121 की दक्षिणी सीमा तक इंद्रावती नदी. **पूर्व** - कक्ष क्र. 121 की दक्षिणी सीमा एवं इंद्रावती नदी के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 तक मिनगाचल नदी. **दक्षिण** - राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 एवं मिनगाचल नदी के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर नैमैड़ ग्राम तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16, कक्ष क्र. 60 की पूर्वी सीमा तक नैमेड़-सोमनपल्ली पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग, कक्ष क्र. 60 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 61 की पूर्वी दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 50 की पूर्वी सीमा तक नैमेड़-सोमनपल्ली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग, कक्ष क्र. 50 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 77 की दक्षिणी सीमा, सोमनपल्ली तक नेमैड़ सोमनपल्ली रोड, कक्ष क्र. पी 1399 की पूर्वी दक्षिणी सीमा तक, सोमनपल्ली-पिल्लूर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग.
										पश्चिम- कक्ष क्र. पी 1399 की दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. पी. 1390, पी 1389 की दक्षिणी सीमा, पी 1388, पी 1387, पी 1366 की पूर्वी सीमा, पी 1365 की दक्षिणी पूर्वी सीमा,पी 1345, पी 1344, पी 1342, पी 1337, पी. 1336, पी 1330 की पूर्वी सीमा होकर कक्ष क्र.-पी. 1330 एवं कक्ष क्र. 1328 के मिलन बिन्दु तक.
2.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी), जगदलपुर एवं क्षेत्र संचालक, इंद्रावती टायगर रिजर्व मुख्यालय-जगदलपुर	बीजापुर	इंद्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	उप संचालक इन्द्रावती टायगर रिजर्व (बीजापुर)	बफर परिक्षेत्र बीजापुर	कुटरू	आरक्षित वनक्षेत्र-178.28 संरक्षित वनक्षेत्र-45.43 असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्र-142.92 राजस्व क्षेत्र-99.98 **योग 466.61**	03	10	**उत्तर**- पिल्लूर-सोमनपल्ली राजमार्ग तथा कक्ष क्र. 62 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर ग्राम सोमनपल्ली तक सोमनपल्ली-पिल्लूर राजमार्ग, कक्ष क्र.-77 की पश्चिमी सीमा तक सोमनपल्ली नेमैड़ रोड, कक्ष क्र. 50 की उत्तरी पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 61 की पश्चिमी सीमा तक सोमनपल्ली नेमैड़ रोड, कक्ष क्र. 61 पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 60 की दक्षिणी सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 तक सोमनपल्ली नेमैड़ रोड. **पूर्व** - सोमनपल्ली नेमैड़ रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 से प्रारंभ होकर कक्ष 893 की पूर्वी सीमा तक राजमार्ग क्र.16.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										दक्षिण- कक्ष क्र. 893 की पूर्वी सीमा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 893 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 892 की पूर्वी उत्तरी सीमा, कक्ष क्र.-876 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 879, 891 की पूर्वी सीमा, 890 की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 888 की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 887 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 934, 948 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 949 की पूर्वी उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 618, 620, 631 एवं 633 की उत्तरी सीमा.
										पश्चिम- कक्ष क्र. 636 की पश्चिमी सीमा एवं कक्ष क्र. 633 की उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 636 की पूर्वी, कक्ष क्र.-51 की दक्षिणी, कक्ष क्र. 45 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 49, 60 एवं 62 की पूर्वी सीमा जो सोमनपल्ली पील्लूर रोड तक विस्तारित है.
3.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी), जगदलपुर एवं क्षेत्र संचालक, इंद्रावती टायगर रिजर्व मुख्यालय-जगदलपुर	बीजापुर	इंद्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	उप संचालक इन्द्रावती टायगर रिजर्व (बीजापुर)	बफर परिक्षेत्र मद्देड	भोपालपटनम	आरक्षित वनक्षेत्र-345.76 संरक्षित वनक्षेत्र-90.94 असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्र-75.27 राजस्व क्षेत्र-63.68 **योग 575.65**	4	18	**उत्तर-** इंद्रावती नदी से प्रारंभ होकर कक्ष क्र.-पी. 1098, पी. 1199, पी. 1096, पी. 1095, पी. 1094, पी. 1093 की दक्षिणी सीमा, पी. 1092 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, पी. 1091, पी. 1090 की दक्षिणी सीमा, पी. 1083, 577, 574, 583, 1132, 1131 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 1136, 1143, 1142 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 1141 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 1140, 635, 636

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										की पूर्वी सीमा जो कक्ष क्र. 633 की उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु तक जाती है.
										पूर्व - कक्ष क्र. 44, 43, 42 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 34 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 33 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 32 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 25, 26 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र.-889 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 890 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र.-891 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 879, 876, 892 एवं 893 की पूर्वी सीमा जो राजमार्ग क्र. 16 तक जाती है.
										दक्षिण- कक्ष क्र. 893 की पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर इंद्रावती नदी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 16.
										पश्चिम- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 एवं इंद्रावती नदी के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. पी 1098 की दक्षिणी सीमा तक इंद्रावती नदी.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक/व.प्रा./स्था./2012/159.—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2, दिनांक 20 फरवरी, 2009 द्वारा अचानकमार टायगर रिजर्व के गठित होने के फलस्वरूप

छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैनुअल की अपेन्डिक्स-I के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासकीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी संबंधित आदेशों को संशोधित करते हुए निम्न संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है—

अनु. क्र.	वृत्त का नाम (मुख्यालय)	जिले का नाम	टायगर रिजर्व का नाम	उप संचालक (वनमंडल) का नाम (मुख्यालय)	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का मुख्यालय	परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	परिक्षेत्र में सम्मिलित परिक्षेत्र सहायक वृत्तों की संख्या	परिक्षेत्र में सम्मिलित परिसरों की संख्या	परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर					
1.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय-बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	बफर परिक्षेत्र, लोरमी भाग-1	लोरमी	वनक्षेत्र=111.984 (बफर क्षेत्र)	3	8	**उत्तर-** कक्ष क्र. 416 की पूर्वी सीमा से कक्ष क्रमांक 332 की पश्चिमी सीमा तक मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की उभयनिष्ठ सीमा. **पूर्व-** कक्ष क्र. 332 एवं उभयनिष्ठ सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कोर क्षेत्र के कक्ष क्र. 332, 333, 391, 431, 432, 433 एवं मनियारी जलाशय तक कक्ष क्र. 452 की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण -** कक्ष क्र. 452 की पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर मनियारी जलाशय की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 475 की उत्तरी सीमा. **पश्चिम-** कक्ष क्र. 477, 469, 463, 424, 421, 420, 416 की पूर्वी सीमा म.प्र. छत्तीसगढ़ की उभयनिष्ठ सीमा तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय–बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	बफर परिक्षेत्र, लोरमी भाग–2	लोरमी	वनक्षेत्र=56.436 (बफर क्षेत्र)	2	7	**उत्तर–** कक्ष क्र. 499 की पूर्वी सीमा एवं मनियारी जलाशय की सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 503 तक मनियारी जलाशय की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 503, 502, 524, 523, 522, 536, 543 की दक्षिणी सीमा. **पूर्व –** कक्ष क्र. 542, 547 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्रमांक 548, 113, 115, 116, 117 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्रमांक 108 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 109 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 101 की दक्षिणी सीमा, कक्ष 93 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक. **दक्षिण –** कक्ष क्रमांक 100 की पूर्वी एवं कक्ष क्र.–93 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु से लेकर कक्ष क्र. 92, 94, 95, 96 की उत्तरी सीमा सावंतपुर ग्राम की उत्तरी सीमा कक्ष क्र. 550, ग्राम अघरिया बरगन की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 1536 की पूर्वी, कक्ष क्र. 1535 की पूर्वी उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 1534, 1533 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 557 की पूर्वी, कक्ष क्र. 556 की पूर्वी एवं उत्तरी, 1529, 534, 533, 532 एवं 531 की उत्तरी सीमा कक्ष क्र.–530 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक. **पश्चिम–** कक्ष क्र. 530, 499 की पूर्वी सीमा मनियारी जलाशय तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय-बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक अचानकमार टयगर रिजर्व (बिलासपुर)	परिक्षेत्र सुरही	सुरही	वनक्षेत्र=242.046 (कोर क्षेत्र)	7	30	**उत्तर-** छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की उभयनिष्ठ सीमा तथा कक्ष क्र. 393 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्रमांक-303 तक उभयनिष्ठ सीमा, कक्ष क्र. 303, 331, 330, 329, 327 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 326 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 325, 324 की दक्षिणी सीमा. **पूर्व -** आरक्षित वन कक्ष 347 पश्चिमी दक्षिणी सीमा एवं कक्ष क्र. 348, 366, 365 की दक्षिणी सीमा, 364 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 235, 368 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, आरक्षित वन कक्ष 237 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 198, 197, 1[illegible] [illegible] 153, 152, 114 एवं 113 की पश्चिमी [illegible] **दक्षिण -** कक्ष क्र. 113, 549 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर आरक्षित वन कक्ष क्र. 553, 554 की उत्तरी सीमा, 546 की पूर्वी सीमा, 544, 537 की उत्तरी पूर्वी सीमा, 526, 525, 501 की उत्तरी सीमा मनियारी जलाशय की उत्तरी पूर्वी सीमा, कक्ष क्र.-453 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक. **पश्चिम-** आरक्षित वन कक्ष क्र. 453, 454, 430, 392, 393 की पूर्वी सीमा छ.ग. एवं म.प्र. की उभयनिष्ठ सीमा तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय- बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	परिक्षेत्र लमनी	लमनी	वनक्षेत्र=199.778 (कोर क्षेत्र=128.095+ बफर क्षेत्र = 71.683)	6	21	**उत्तर**- कक्ष क्र. 271 एवं 270 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 259 एवं 260 के मिलन बिन्दु तक मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की उभयनिष्ठ सीमा. **पूर्व** - कक्ष क्र. 260 एवं 265 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 266 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. पी 1215 की पश्चिमी सीमा से कक्ष क्र. पी 1213 की पूर्वी सीमा तक मुंगेली एवं बिलासपुर जिले की उभयनिष्ठ सीमा, अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा जो कक्ष क्र. पी 1146 एवं पी 1150 के मिलन बिन्दु तक जाती है. **दक्षिण** - संरक्षित वन के कक्ष क्र. पी 1150 एवं पी. 1146 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर संरक्षित वन कक्ष क्र. पी 1150, पी 1149 की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र.- 358, 361, 362, 351, 350, 349, 347, 345, 344, 343 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 342 की उत्तरी पूर्वी सीमा, आरक्षित यन कक्ष क्र. 341, 339, 338, 336 एवं 332 की उत्तरी सीमा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की उभयनिष्ठ सीमा तक. **पश्चिम**- कक्ष क्र. 332 एवं 303 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 271 एवं 270 के मिलन बिन्दु तक छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य की उभयनिष्ठ सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय-बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	परिक्षेत्र छपरवा	छपरवा	वनक्षेत्र=147.919 (कोर क्षेत्र=134.524+ बफर क्षेत्र = 13.395)	5	19	**उत्तर-** आरक्षित वन कक्ष क्र. 345 की पूर्वी एवं 324 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 324 की दक्षिणी पूर्वी, 323, 322, 352, 354 एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 1148 की दक्षिणी सीमा जो कक्ष क्र. पी 1150 एवं पी 1149 के मिलन बिन्दु तक विस्तारित है.
										पूर्व - संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 1149 एवं पी 1150 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. पी.1166 एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 224 के मिलन बिन्दु तक अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा, कक्ष क्र. 184 की उत्तरी तथा पी 1178 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक बिलासपुर एवं मुंगेली जिले की उभयनिष्ठ सीमा.
										दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष क्र. 184 की उत्तरी तथा बिलासपुर एवं मुंगेली जिले की उभयनिष्ठ सीमा से प्रारंभ होकर आरक्षित वन कक्ष क्र. 184, 185, 183, 186 की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 188 की उत्तरी पूर्वी, 209, 191, 201 एवं 198 की उत्तरी सीमा तथा आरक्षित वन कक्ष क्र. 506 की उत्तरी पूर्वी सीमा जो 506 एवं 238 के मिलन बिन्दु तक विस्तारित है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष क्र. 238 की पूर्वी, 369 की दक्षिणी पूर्वी सीमा, 367 की पूर्वी उत्तरी सीमा, 369, 371, 372, 346 की उत्तरी सीमा एवं कक्ष क्र. 345 की पूर्वी सीमा.
6.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय-बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	परिक्षेत्र अचानकमार	अचानकमार	वनक्षेत्र=155.854 (कोर क्षेत्र=121.530+ बफर क्षेत्र = 34.324)	7	22	**उत्तर-** आरक्षित वन कक्ष क्र. 237 एवं 202 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर, कक्ष क्र. 202, 203, 207 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 208 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 211, 210, 213, 215 की दक्षिणी सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 216 की पश्चिमी सीमा, 187 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा तथा बिलासपुर एवं मुंगेली जिले के उभयनिष्ठ सीमा तक आरक्षित वन कक्ष क्र. 218 की दक्षिणी सीमा. **पूर्व -** आरक्षित वन कक्ष क्र. 218 की दक्षिणी सीमा तथा बिलासपुर एवं मुंगेली जिले के उभयनिष्ठ सीमा से लेकर कक्ष क्र. 168 तथा 173 की उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु तक अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा. **दक्षिण-** कक्ष क्र. 168 तथा 173 की उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र.-143 की उत्तरी 144 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा, कक्ष क्र.-553, 549 एवं 112 के मिलन बिन्दु तक कोर क्षेत्र की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम- कक्ष क्र. 553, 549 एवं 112 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 548, 547, 542, 543, 541, 517, 516 एवं 507 की पूर्वी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र.-237 एवं 202 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक.
6.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय-बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	ईको-टूरिज्म परिक्षेत्र अचानकमार	शिवतराई	(अचानकमार टायगर रिजर्व के ईको-टूरिज्म महत्व के क्षेत्र)			छ.ग. शासन राजपत्र भाग-1 दिनांक 6 मार्च, 2009 में प्रकाशित वन विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-8-43/2007/10-2, दिनांक 20 फरवरी, 2009 के अनुसार अधिसूचित अचानकमार टाईगर रिजर्व का सम्पूर्ण कोर एवं बफर क्षेत्र.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक/व.प्रा./स्था./2012/160.—छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2, दिनांक 20 फरवरी, 2009 द्वारा उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के गठित होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैनुअल की अपेन्डिक्स-I के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासकीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी संबंधित आदेशों को संशोधित करते हुए निम्न संरक्षित परिक्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है—

अनु. क्र.	वृत्त का नाम (मुख्यालय)	जिले का नाम	टायगर रिजर्व का नाम	उप संचालक (वनमंडल) का नाम (मुख्यालय)	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का मुख्यालय	परिक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	परिक्षेत्र में सम्मिलित परिक्षेत्र सहायक वृत्तों की संख्या	परिक्षेत्र में सम्मिलित परिसरों की संख्या	परिक्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद					
1.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर	गरियाबंद	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उत्तर उदन्ती (कोर परिक्षेत्र)	मैनपुर	वनक्षेत्र=116.42 राजस्व क्षेत्र=24.15 **योग = 140.57**	02	10	**उत्तर**- संरक्षित वन कक्ष क्र. 1107, 1106, 1101, 1100, 1099, 959, 960, 964, 965 की दक्षिणी सीमा. **पूर्व** - उड़ीसा राज्य की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										दक्षिण- उदंती नदी के साथ कक्ष क्र. 21, 26, 28, 29, की उत्तरी सीमा, बम्हनीझोला ग्राम की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 33, 82, 72, 70, 69, 61, 59, 58, 56 की उत्तरी सीमा.
										पश्चिम- संरक्षित वन कक्ष क्र. 1178 की पूर्वी सीमा, ग्राम भूतबेड़ा की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र.- 1176 की पूर्वी सीमा, ग्राम मोगराभर्री की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 1132, 1131, 1130, 1129, 1128 की पूर्वी सीमा जो कक्ष क्र. 1107 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक जाती है.
2.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर	गरियाबंद	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	दक्षिण उदंती (कोर परिक्षेत्र)	मैनपुर	वनक्षेत्र=120.85 राजस्व क्षेत्र=14.35 **योग** = 135.20	02	12	**उत्तर-** उदंती नदी के साथ कक्ष क्र. 20, 13, 3, 84, 83, 81 की दक्षिणी सीमा, देवझर अमली ग्राम की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र.- 73 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 68, 67, 62, 63, 57 की दक्षिणी सीमा. **पूर्व -** उड़ीसा राज्य की सीमा **दक्षिण-** कक्ष क्र. 1230, 1229 की उत्तरी सीमा, इंदागांव ग्राम की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र.- 1219, 1218, 1217 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 1216 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 1215 की उत्तर पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 1210 की पश्चिमी सीमा, ग्राम- पीपलखूंटा की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र.- 1209, 1208, 1206 की उत्तरी सीमा,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										कक्ष क्र. 1204 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा एवं उड़ीसा राज्य की सीमा जो कक्ष क्र. 1196 की पूर्वी सीमा से मिलती है.
										पश्चिम- कक्ष क्र. 1196, 1195, 1194, 1193 एवं 1179 की पूर्वी सीमा.
3.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर	गरियाबंद	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	इन्दागांव	धुर्वागुडी	वनक्षेत्र=129.14 राजस्व क्षेत्र=5.79 **योग** = 134.93	02	08	**उत्तर-** कक्ष क्र. 52 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र.-51, 49 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 48, 47 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 41 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 40 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 36, 30 की दक्षिणी सीमा, कोयबा ग्राम की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 27, 25, 24 की दक्षिणी सीमा उड़ीसा प्रांत की सीमा तक. **पूर्व-** बनवापारा ग्राम तक छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की उभयनिष्ठ सीमा, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा जो ग्राम गोहरामाल की सीमा तक विस्तारित है. **दक्षिण-** कक्ष क्र. 1244 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र.-1282 की दक्षिणी सीमा तथा उड़ीसा राज्य की सीमा के मिलन बिन्दु तक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की दक्षिणी सीमा. **पश्चिम-** उड़ीसा राज्य की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर	गरियाबंद	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	सीतानदी (कोर परिक्षेत्र)	सिहावा	वनक्षेत्र=179.48	06	26	**उत्तर-** उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कोर II की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 357 की पूर्वी सीमा तक. **पूर्व-** कक्ष क्र. 210, 211, 212, 213, 220 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 299, 300, 297 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 295 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 284 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 293 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 292 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 286, 271, 261 की पश्चिमी, कक्ष क्र. 259 की पश्चिमी सीमा, ग्राम करपारी की पश्चिमी सीमा जो कक्ष क्र. 497 की उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु तक विस्तारित है. **दक्षिण-** कक्ष क्र. 497 की उत्तरी सीमा, ग्राम बोरई की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 496 की उत्तरी सीमा. **पश्चिम-** कक्ष क्र. 264 की दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 322 की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक कोण्डागांव जिले की सीमा, कक्ष क्र. 322, 323 एवं 324 की पश्चिमी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर	गरियाबंद	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	रिसगांव (कोर परिक्षेत्र)	सांकरा	वनक्षेत्र को(=198.70 राजस्व क्षेत्र= 2.41 **योग = 201.11**	05	24	**उत्तर-** कक्ष क्र. 213 की पश्चिमी सीमा तथा कक्ष क्र. 220 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से लेकर कक्ष क्र. 409 की पश्चिमी तथा दक्षिण सीमा के मिलन बिन्दु तक, कक्ष क्र. 220, 218 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 222 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 221 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 224 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 161 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 160 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 162 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र, 157 पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 155 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 164 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 167 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 406 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 407 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 409 की पश्चिमी सीमा. **पूर्व -** कक्ष क्र. 409 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 1151 की पश्चिमी सीमा एवं उड़ीसा राज्य की सीमा के मिलन बिन्दु तक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कोर एवं बफर क्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा. **दक्षिण-** उड़ीसा राज्य की सीमा जो ग्राम लिखमा के उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु तक विस्तारित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम- ग्राम लिखमा की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र.-501 की उत्तरी सीमा, घुटकेल ग्राम की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 500 की पूर्वी सीमा, खेरवारी ग्राम की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र.-263, 262, 287, 291 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 312 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 294 की दक्षिणी पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 296 की दक्षिणी पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 307 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 301 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 302 की पूर्वी सीमा.
6.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर	धमतरी	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	अरसी-कन्हार (कोर + बफर परिक्षेत्र)	सांकरा	वनक्षेत्र कोर=189.24 वनक्षेत्र बफर= 70.62 राजस्व क्षेत्र = 13.11 **योग = 272.97**	07	32	**उत्तर-** कक्ष क्र. 357 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से लेकर सोण्ढूर नदी तक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कोर II (सीतानदी अभ्यारण्य) की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 383 की उत्तरी सीमा **पूर्व -** कक्ष क्र. 383 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र.-409 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक जिला धमतरी एवं जिला गरियाबंद की उभयनिष्ठ सीमा. **दक्षिण -** कक्ष क्र. 409 की पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 410 की पूर्वी उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 166 की उत्तरी पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 165, 151, की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 154, 156, 236 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 158, 159 की पूर्वी सीमा, कक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										क्र. 225 की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, 226 की पूर्वी सीमा, 219 की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, 228 की उत्तरी सीमा जो कक्ष क्र.-302 की पूर्वी सीमा से मिलती है.
										पश्चिम- कक्ष क्र. 302, 355, 356 एवं 357 की पूर्वी सीमा.
7.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर	धमतरी	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	तौरेंगा	मैनपुर	वनक्षेत्र =274.03 राजस्व क्षेत्र =115.30 **योग = 389.33**	04	17	**उत्तर-** कक्ष क्र. 389 की दक्षिणी सीमा तथा कक्ष क्र. 1068 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 1036 की उत्तरी तथा 923 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की उत्तरी सीमा. **पूर्व -** कक्ष क्र. 923, 924, 925, 926, 957, 955, 958, 959 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 9, 7, 6 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 1 की पूर्वी उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 89 की उत्तरी सीमा, 88 उत्तरी पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 87, 77, 76, 65, 64, 57, 56, 55 की पश्चिमी सीमा, साहेबीन ग्राम की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 54, 53 की पश्चिमी सीमा उड़ीसा की सीमा तक. **दक्षिण -** उड़ीसा राज्य की सीमा जो कक्ष क्र. 241 की दक्षिणी सीमा एवं कक्ष क्र. 1151 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक विस्तारित है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										पश्चिम- कक्ष क्र. 241 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र.-389 की दक्षिणी सीमा एवं कक्ष क्र. 1068 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक धमतरी एवं गरियाबंद जिले की उभयनिष्ठ सीमा.
8.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिज़र्व मुख्यालय-रायपुर	गरियाबंद	उदन्ती-सीतानदी टायगर रिज़र्व	उप संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिज़र्व	कुल्हाड़ीघाट	मैनपुर	वनक्षेत्र =343.50 राजस्व क्षेत्र = 45.45 **योग = 388.95**	03	14	उत्तर- कक्ष क्र. 781, 782 की उत्तरी सीमा जो उड़ीसा राज्य की भी सीमा है. पूर्व - कक्ष क्र. 782 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से लेकर कक्ष क्र. 965 की दक्षिणी तथा कक्ष क्र. 16 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक उड़ीसा राज्य की सीमा. दक्षिण - कक्ष क्र. 16, 15, 11, 9 की उत्तरी सीमा. पश्चिम- कक्ष क्र. 1099, 1098 की पूर्वी सीमा, 1097 की उत्तरी सीमा, 1088 की पूर्वी सीमा, 1086, 1087 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 1036 की पूर्वी सीमा, 923, 922 की उत्तरी सीमा, 921 की उत्तरी पूर्वी सीमा, 929, 930 की उत्तरी सीमा, 933, 918, 894 की पश्चिमी सीमा, 896 की उत्तरी पश्चिमी सीमा, 897, 899, 877, 876, 841, 842 की पश्चिमी सीमा, 815 की दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी सीमा, 789 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा, 790 की पश्चिमी उत्तरी सीमा, 780, 781 की पश्चिमी सीमा.

राम प्रकाश,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 23rd April 2012

No. 205/Confdl./2012/II-1-1/2012.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11017/01/2012-US.II dated 10th April, 2012 of Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Abhay Manohar Sapre, Judge of the Rajasthan High Court has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of April 23rd, 2012.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक 2731/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 02), की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-3331/तीन-6-1/2000 दिनांक 30 अप्रैल 2009 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2117/21-ब (छ.ग.)/2001 दिनांक 16 मई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

अनु. क्र. (1)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	श्री चंद्र कुमार कश्यप	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा स्थान अम्बिकापुर.

Bilaspur, the 23rd April 2012

No. 2731/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its previous Notification No. 3331/III-06-1/2000, dated 30-04-2009, the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in column No. (2) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the Govt. of Chhattisgarh under section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 2117/21-B (C.G.)/ 2001, dated 16th May, 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through territotries of Civil District shown in columns No. (4) of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1.	Shri Chandra Kumar Kashyap	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh, Raipur, Surguja at Ambikapur.

Bilaspur, the 24th April 2012

CORRIGENDUM

No. 215/Confdl./2012/II-3-1/2012.—In Registry Order No. 178/Confdl./2012/II-3-1/2012 dated 16-04-2012:

1. Column No. 5 of sl. No. 1 be read as Kondagaon instead of Bastar (Jagdalpur).
2. Column No. 5 of sl. No. 2 be read as Bijapur instead of Dakshin Bastar (Dantewara).

In Registry Order No. 179/Confdl./2012/II-3-1/2012 dated 16-04-2012:

1. Column No. 5 of sl. No. 1 be read as Sukma instead of Dakshin Bastar (Dantewara).
2. Column No. 5 of sl. No. 2 be read as Bemetara instead of Durg.
3. Column No. 5 of sl. No. 3 be read as Surajpur instead of Surguja (Ambikapur).
4. Column No. 5 of sl. No. 6 be read as Balod instead of Durg.
5. Column No. 5 of sl. No. 8 be read as Mungeli instead of Bilaspur.
6. Column No. 5 of sl. No. 9 be read as Baloda-Bazar instead of Raipur.
7. Column No. 5 of sl. No. 13 be read as Gariaband instead of Raipur.
8. Column No. 5 of sl. No. 17 be read as Balrampur instead of Surguja (Ambikapur).

In Registry Order No. 181/Confdl./2012/II-3-1/2012 dated 16-04-2012:

1. Column No. 5 of sl. No. 5 be read as Surajpur instead of Surguja (Ambikapur).

In Registry Order No. 183/Confdl./2012/II-3-1/2012 dated 16-04-2012:

1. Column No. 5 of sl. No. 7 be read as Baloda-Bazar instead of Raipur.
2. Column No. 5 of sl. No. 14 be read as Surajpur instead of Surguja (Ambikapur).
3. Column No. 5 of sl. No. 23 be read as Baloda-Bazar instead of Raipur.
4. Column No. 5 of sl. No. 30 be read as Surajpur instead of Surguja (Ambikapur).

In Registry Order No. 185/Contdl./2012/II-3-1/2012 dated 16-04-2012:

1. Column No. 5 of sl. No. 6 be read as Mungeli instead of Bilaspur.
2. Column No. 5 of sl. No. 8 be read as Balod instead of Durg.
3. Column No. 5 of sl. No. 10 be read as Mungeli instead of Bilaspur.
4. Column No. 5 of sl. No. 12 be read as Gariaband instead of Raipur.
5. Column No. 5 of sl. No. 14 be read as Baloda-Bazar instead of Raipur.
6. Column No. 5 of sl. No. 16 be read as Kondagaon instead of Bastar (Jagdalpur).
7. Column No. 5 of sl. No. 19 be read as Balrampur instead of Surguja (Ambikapur).
8. Column No. 5 of sl. No. 20 be read as Bemetara instead of Durg.
9. Column No. 5 of sl. No. 23 be read as Baloda-Bazar instead of Raipur.

Bilaspur, the 1st May 2012

No. 224/Confdl./2012/II-3-1/2012.—The following members of Lower Judicial Service, as mentioned in column No. (2) of the table below, who are holding the post of Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class and who are presently posted on deputation, are hereby promoted and appointed on the post of Senior Civil Judge on proforma basis, from the date they assume charge of their office :

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)
1.	Shri Ashish Pathak
2.	Shri Anand Prakash Wariyal
3.	Shri Shrikant Shriwas

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2012

क्रमांक 3215/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2), की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 2766/तीन-6-7/2000 दिनांक 10 मई, 2011 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री आलोक कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक 49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

No. 3215/III-6-7/2000.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 2766/III-6-7/2000, dated 10 May, 2011 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Alok Kumar, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

Bilaspur, the 11th May 2012

No. 242/Confdl./2012/II-3-1/2012.—The following member of Lower Judicial Service, as mentioned in column No. (2) of the table below, who is holding the post of Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class and who is presently posted on deputation, is hereby promoted and appointed on the post of Senior Civil Judge on proforma basis, from the date he assumes charge of his office:

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)
1.	Shri Vivek Kumar Tiwari

Bilaspur, the 15th June 2012

No. 3964/CSJA/Ist Part Inst/ADJ/2012/12.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2012 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur

on 25-06-2012 at 9:00 A.M. for undergoing the First Part of Institutional Training (Foundation Course) scheduled to be held from 25th June, 2012 to 07th July, 2012.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Mool Chand	I Additional Judge to the Court of I ADJ, Bilaspur
2.	Shri Shakti Singh Rajput	II Additional Judge to the Court of I ADJ, Bilaspur
3.	Shri Satyendra Kumar Sahu	III Additional Judge to the Court of I ADJ, Bilaspur
4.	Shri Shyam Lal Nawaratna	IV Additional Judge to the Court of I ADJ, Bilaspur

The above mentioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationary Rules.

Bilaspur, the 18th June 2012

No. 250/Confdl./2012/II-2-99/2001.—On the basis of application dated 30-11-2011 and 03-03-2012 of Shri Manish Kumar Naidu, III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur requesting for change of his home District, Permission is hereby accorded to change his home District from 'Raipur' to 'Mahasamund' with a direction that in his service records, his home district may be mentioned as "Mahasamund/Raipur".

Bilaspur, the 30th June 2012

No. 268/Confdl./2012/II-1-1/2010.—Hon'ble Dr. Justice I. M. Quddusi, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has demitted the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 17-06-2012 in the afternoon on the eve of His Lordship attaining the age of 62 years.

Bilaspur, the 3rd July 2012

No. 276/Confdl./2012/II-3-1/2012.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join

their place of posting by 18-07-2012 positively :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Shri Amit Jindal S/o Shri Vijay Kumar Jindal, 31/1, Kundanpura, Shyamli Road, Muzaffarnagar (U.P.), Pin-251002.	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
2.	Ku. Parul Shrivastava, D/o Shri Shivam Sundaram Verman, 64-E Mayur Market, Thatipur, Gwalior (M.P.), Pin-474011.	VIII Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Sarv Vijay Agrawal, S/o Shri Murarilal Agarwal Muhalla Gandhinagar (Opposite Gulab Chitra Mandir Talkies), Town-P.S.-Tehsil-Janpad-Mahoba (U.P.), Pin-210427.	Civil Judge Class-II, Narayanpur at Jagdalpur
4.	Shri Vivek Garg, S/o Shri Banwari Lal Garg, House No. 2290(BH), East Rathiya Mohalla, P.S. and Town Achnera, Distt. Agra (U.P.).	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
5.	Shri Tajuddin Asif, S/o Shri Nasiruddin Quraishi, L.I.G. 14, Indravati Colony, Rajatalab, P.S.-Civil Line, Distt. Raipur (C.G.), Pin-492001.	Civil Judge Class-II, Kanker
6.	Smt. Ganga Patel, D/o Shri Laxmi Prasad, Village and Post Kotra, Tahsil and District Raigarh (C.G.)	I Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa
7.	Shri Dular Singh, S/o Late Shri Dhiraji Singh, C/o Dr. Rajesh Nirmalkar, Shraddha Hospital, Jalgrih Marg, Bhatagaon, P.S. Purani Basti, Distt.-Raipur (C.G.).	I Civil Judge Class-II, Balod, District Durg
8.	Shri Harendra Singh Nag, S/o Shri Arjun Singh Nag, Rajendra Nagar Ward, Purana Geedam Naka, P. S. Bodhghat, Distt. Bastar, Jagdalpur (C.G.).	II Civil Judge Class-II, Dantewada
9.	Shri Harish Chandra Mishra, S/o Shri Ram Kalap Mishra, Mishra Bhawan, Dashdron Kali Mandir Rajarhat, Gopalpur, Kolkata North, 24 Pargana (W.B.), Pin-700136.	Civil Judge Class-II, Jashpur
10.	Ku. Shweta Shrivastava, D/o Shri Keshav Narayan Shrivastav, House No. 581, Mohri Walo Ki Bagiya, Near Swadhyay Bhawan, Subhash Ganj, Ashok Nagar, (Madhya Pradesh).	Civil Judge Class-II, Kawardha
11.	Ku. Shruti Shukla D/o Shri Shitla Prasad Shukla, D. K. 1/120 Danish Kunj, Kolar Road, Bhopal, (M.P.), Pin-462042.	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
12.	Ku. Sweta, D/o Shri Vipin Kumar Upadhyay, Ganga Nahar, Near Chital Park, Khatauli, Muzaffarnagar (U.P.)	II Civil Judge Class-II, Raigarh

(1)	(2)	(3)
13.	Shri Om Prakash Sahu, S/o Shri Shobharam Sahu, H. No. 19/184 Panchsheel Ward, P.S./Tehsil-Mahasamund, Distt. Mahasamund (C.G.).	I Civil Judge Class-II, Bemetara, District Durg
14.	Shri Umesh Kumar Upadhyay, S/o Late Shri Ramesh Kumar Upadhyay, 25 Mall Road, Raunak Nursery Compound, Cantt. Sagar (M.P.).	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
15.	Shri Gitesh Kumar Kaushik, S/o Shri Govind Prasad Kaushik, Advocate, Gyan Jyoti Devnandan Nagar, Phase-I, Seepath Road, Bilaspur (C.G.).	I Civil Judge Class-II, Mahasamund
16.	Smt. Seema Chandrakar, W/o Dr. Chauleshwar Chandrakar, C/o Shri J. N. Chandra, Plot No. 107, Kalyan Bag, Rajkishor Nagar, Bilaspur (C.G.).	III Civil Judge Class-II, Raigarh
17.	Shri Devendra Sahu, S/o Shri Radheshyam Sahu, Village-Karanjiya, Post-Chandanu, P.S. and Tehsil-Bemetara, Distt.-Bemetara (C.G.)	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
18.	Shri Diamond Kumar Gilhare, S/o Shri Saras Ram Gilhare, E-2/9 Guru Ghasidas Housing Colony, near Sanskritik Bhawan, New Rajendra Nagar, Raipur (C.G.).	Civil Judge Class-II, Khairagarh at Rajnandgaon.
19.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, S/o Shri Guljari Lal Dangi, 868 Shiv Nagar Colony, Kuwarpura Road, Behind M.P.E.B., Tikamgarh (M.P.), Pin-472001.	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
20.	Shri Sameer Kujur, S/o Shri George Ranjit Kujur, C/o E-Kujur, Qr. No. 3/586, Shantinagar, Ring Road No. 2, Bilaspur (C.G.).	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
21.	Shri Janak Kumar Hidko, S/o Shri Ramdayal Hidko C/o Shri Y. S. Meshram, Opp. M-649, Padnabhpur, Mukund Nagar, P.S. City Kotwali, Distt. Durg (C.G.).	Civil Judge Class-II, Bijapur at Dantewara
22.	Shri Janardan Khare, S/o Shri GendramKhare, L.I.G. 234 Shivaji Nagar, Korba, Chouki Rampur, P.S.-Korba (C.G.).	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur.
23.	Shri Gerjesh Pratap Singh S/o Shri Raghubir Singh (Retd. District Judge), New Puraina Rajendra Park, P.S.-New Rajendra Nagar, Raipur (C.G.).	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund.
24.	Ku. Priyanka Tembhurkar, D/o Shri Purannath Tembhurkar, Plot No. 33, Street No. 17, Smriti Nagar, Junwani Road, Pushpak Nagar, Bhilai, Distt. Durg (C.G.).	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
25.	Shri Hemant Kumar Ratre, S/o Shri Dhanaji Ratre, Shakti Nagar, Near Hanuman Mandir, Post-Shankar Nagar, Raipur (C.G.).	Civil Judge Class-II, Dongargarh at Rajnandgaon.

(1)	(2)	(3)
26.	Smt. Archana Bhaskar, D/o Shri P. L. Bhaskar, Park Residency, Block-A, Flat No. 303, Telibandha, Raipur (C.G).	II Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa
27.	Ku. Reshma Tigga, D/o Shri Herman Tigga, C/o E. Kujur, 3/586, Shanti Nagar, Ring Road No. 2, Bilaspur (C.G.).	II Civil Judge Class-II, Dhamtari

Bilaspur, the 30th July 2012

No. 410/Confdl./2012/II-2-4/2002.—The following Officiating/Probationary* District Judges of Higher Judicial Service, are hereby, issued certificate of confirmation in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)
1.	Shri Jagdamba Rai
2.	Shri Arvind Kumar Verma
3.	Shri Onkar Prasad Gupta
4.	Shri Santosh Sharma*
5.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava
6.	Smt. Sushma Sawant
7.	Shri Hemant Kumar Agrawal
8.	Shri Sudhir Kumar*
9.	Shri Ramashankar
10.	Shri Rajnish Shrivastava
11.	Shri Balram Prasad Verma*
12.	Shri Vijay Kumar Ekka
13.	Shri Anand Kumar Singhal
14.	Shri Hemant Saraf*
15.	Shri Rakesh Bihari Ghore
16.	Shri Ashok Kumat Lunia
17.	Smt. Kanta Martin
18.	Shri Bhishma Prasad Pandey
19.	Shri Shailesh Kumar Tiwari
20.	Shri Rajendra Pradhan
21.	Shri Gokaran Singh Kunjam
22.	Shri Anand Kumar Dhruv
23.	Smt. Suman Ekka
24.	Shri Balinder Singh Saluja
25.	Shri K. Vinod Kujur

Bilaspur, the 13th August 2012

No. 5429.—In exercise of the powers conferred by Section 122 read with Section 139 of the Code of Civil Procedure, 1908, the High Court of Chhattisgarh, with the previous approval of the State Government, hereby, makes the following amendment in the Commissioner of Oath's Rules, 1976 which shall deemed to have come into force with effect from 18-08-2009.

AMENDMENT

In the said rules—

1. In Rule-9, the amount of "Rs. 5/-" mentioned between the words "charge fee of" and "per affidavit" shall be substituted by "Rs.10/-".

Bilaspur, the 16th August 2012

No. 5511/CSJA/Ist Part Ind./2012 Batch/12.—The following newly appointed Civil Judges (Entry Level) as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh (Old High Court Building), Bilaspur on 21-08-2012 by 4:00 P.M. for undergoing the First Part of Institutional Training Programme to be held from 22nd August, 2012 to 20th September, 2012.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Amit Jindal	I Civil Judge Class-II, Jadgalpur
2.	Ku. Parul Shrivastava	VIII Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Srav Vijay Agrawal	Civil Judge Class-II, Narayanpur at Jagdalpur
4.	Shri Vivek Garg	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
5.	Shri Tajuddin Asif	Civil Judge Class-II, Kanker
6.	Smt. Ganga Patel	Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa
7.	Shri Dular Singh	I Civil Judge Class-II, Sanjari-Balod, Durg
8.	Shri Harendra Singh Nag	II Civil Judge Class-II, Dantewada
9.	Shri Harish Chandra Mishra	Civil Judge Class-II, Jashpur
10.	Ku. Shweta Shrivastava	Civil Judge Class-II, Kawardha
11.	Ku. Shruti Shukla	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
12.	Ku. Sweta	II Civil Judge Class-II, Raigarh
13.	Shri Om Prakash Sahu	I Civil Judge Class-II, Bemetara, District Durg
14.	Shri Umesh Kumar Upadhyay	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur

(1)	(2)	(3)
15.	Shri Gitesh Kumar Kaushik	I Civil Judge Class-II, Mahasamund
16.	Smt. Seema Chandrakar	III Civil Judge Class-II, Raigarh
17.	Shri Devendra Sahu	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
18.	Shri Diamond Kumar Gilhare	Civil Judge Class-II, Khairagarh, District-Rajnandgaon.
19.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
20.	Shri Sameer Kujur	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
21.	Shri Janak Kumar Hidko	Civil Judge Class-II, Bijapur at Dantewada
22.	Shri Janardan Khare	Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur.
23.	Shri Gerjesh Pratap Singh	Addl. Judge to the Court of II Civil Judge Class-II, Mahasamund.
24.	Ku. Priyanka Tembhurkar	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
25.	Shri Hemant Kumar Ratre	Civil Judge Class-II, Dongargarh at Rajnandgaon.
26.	Smt. Archna Bhaskar	II Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa
27.	Ku. Reshma Tigga	II Civil Judge Class-II, Dhamtari

The above mentioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders-Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C.G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (with C.G. Rules)

Bilaspur, the 1st September 2012

No. 596/Confdl./2012/II-3-2/2002.—The following Civil Judges Class-II, who were appointed on probation for 2 years and who have completed their period of probation, are hereby confirmed in the Lower Judicial Service with effect from 28-08-2012 viz :—

1. Shri Anand Prakash Dixit
2. Ku. Radhika Saini
3. Shri Manish Kumar Dubey
4. Shri Shailendra Chauhan

5. Shri Umesh Kumar Chauhan
6. Ku. Jyoti Agrawal
7. Shri Achhe Lal Kachhi
8. Ku. Udai Laxmi Parmar
9. Smt. Kiran Tripathi
10. Ku. Smita Ratnawat
11. Shri Amit Rathore
12. Shri Anil Kumar Pandey
13. Smt. Vibha Pandey
14. Smt. Chhaya Singh
15. Smt. Kiran Thawait
16. Shri Ashok Kumar Lal
17. Shri Sumit Kapoor
18. Shri Awadh Kishor
19. Ku. Deepa Katare
20. Shri Jitendra Kumar Singh
21. Shri Shailesh Sharma
22. Shri Vikram Pratap Chandra
23. Shri Krishn Pal Singh Bhadauriya
24. Shri Sanjay Agarwal
25. Shri Santanoo Kumar Deshlahre
26. Shri Avinash Kumar Tripathi
27. Shri Vinay Kumar Pradhan

Bilaspur, the 1st September 2012

No. 597/Confdl./2012/II-3-2/2002.—The following Civil Judges Class-II, who were appointed on probation for 2 years and who have completed their period of probation, are hereby issued a certificate of confirmation under sub-rule (5) of Rule 11 Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006, viz :—

1. Shri Abhishek Sharma
2. Shri Agam Kumar Kashyap
3. Shri Shrinivas Tiwari
4. Shri Om Prakash Jaiswal
5. Shri Balram Kumar Dewangan
6. Shri Jagmohan Shankar Patel
7. Shri Ganesh Ram Patel
8. Shri Santosh Kumar Mahobiya
9. Ku. Pushplata Markande
10. Ku. Mona Sonwani
11. Shri Krishna Kumar Suryawanshi
12. Ku. Vandana Verma
13. Shri Santosh Thakur
14. Shri Narendra Kumar
15. Smt. Shyamwati Maravi
16. Ku. Monika Jaiswal
17. Ku. Chitralekha Sonwani
18. Smt. Sushma Lakra
19. Shri Anil Prabhat Minj
20. Shri Deepak Kumar Koshley
21. Shri Bhupendra Kumar Vasnikar
22. Shri Damarudhar Chouhan
23. Shri Mohan Singh Korram
24. Shri Ajay Kuma Xaxa
25. Shri Digvijay Singh

26. Ku. Rashmi Mandavi
27. Ku. Yashoda Kashyap
28. Shri Roopnarayan Pathare
29. Shri Krishnakant Bhardwah
30. Shri Pankaj Alok Tirkey

Bilaspur, the 1st September 2012

No. 599/Confdl./2012/II-2-4/2002.—The following Judicial Officer of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2), of the table below, in whose favour a certificate of confirmation was issued vide Registry Order No. 516/Confdl./2011/II-2-4/2002 dated 02-09-2011, is hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Narendra Singh Chawla	01-07-2012

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2012

क्रमांक 65/दो-2-3/2005.—श्री सी. एल. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-02-2012 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्रमांक 132/दो-3-23/2010.—श्री शैलेश कुमार तिवारी, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-12-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्रमांक 144/दो-2-20/2007.—श्रीमति कान्ता मार्टिन, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-06-2012 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.